

नगर पंचायत शाहपुर, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 /81-फिन (एल०ए० खण्ड -(ख) दिनांक 10.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत शाहपुर के लेखों, अवधि 01/04/23 से 31/03/2024 का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अवधि 01/04/2023 से 31/3/2024 के दौरान नगर पंचायत शाहपुर में प्रधान व सचिव के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र०सं०	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीशा शर्मा	01-04-23 से 18-07-23
2.	श्रीमति उषा देवी	21-08-23 से 31-03-24

सचिव :-

क्र०सं०	पदाधिकारियों के नाम	अवधि
1.	श्री आदित्य चौहान	01-04-23 से 13-04-23
2.	श्री प्रदीप कुमार	14-04-23 से 31-03-24

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण :-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	(₹) लाखों में
1.	अनुदानों का उपयोग न करना	7.2	237.70

2.	अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना	7.3	292.36
3.	विविध स्रोतों से अपेक्षित आय का वसूली हेतु शेष पाया जाना।	8.1,9.1, 10.1	50.56
4.	कूड़ा संग्रहण योजना के अंतर्गत किये गये व्यय के विरुद्ध कम आय के कारण वित्तीय हानि	9.2	32.62
5.	Labour Cess (श्रम उपकर) जमा न करना	14	1.59
6.	रा०व०मा० पाठशाला शाहपुर से स्पीच स्टेज निर्माण के लिए प्राप्त राशि से अधिक का कार्य निष्पादन	16	1.46
7.	प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत किये भुगतान अनियमिताएं	19	29.65

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई थी। वर्तमान अंकेक्षण उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट-“1” पर दिया गया है। नगर पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना अत्यंत चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/ कार्रवाई सुनिश्चित करें, तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का समायोजन/निपटारा सम्भव हो सके।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर पंचायत शाहपुर के लेखों अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 का वर्तमान अंकेक्षण कार्य श्री प्रीतम चन्द, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 26-12-2024 से 15-02-2025 तक नगर पंचायत शाहपुर के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं। लेखों की विस्तृत पड़ताल हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2023-24	01/24	01/24

अस्वीकरण:- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण सचिव, नगर पंचायत शाहपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई हैं, के लिए हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत पड़ताल हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर पंचायत के अवधि 01/04/20 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹20,000/- आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु सचिव, नगर पंचायत शाहपुर से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 87 दिनांक 19-02-2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में नगर पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 458963 दिनांक: 04.03.25 माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति:-

नगर पंचायत के अवधि 01/04/23 से 31/03/24 के विभिन्न निधि लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण परिशिष्ट -"2" पर दिया गया है:-

(क) सामान्य रोकड़ बही

Consolidated Financial Position of Nagar Panchyat Shahpur Distt. Kangra as on 31-03-24

Year	Name of Head	Opening Balance (₹)	Receipt During the Year (₹)	Intrest Received (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2023-24	Own Sources	38,50,964.00	18,73,317.00	7,31,190.00	64,55,471.00	44,32,818.00	20,22,653.00
	Grant-in- Aid	2,40,75,030.00	2,89,30,918.00	-	5,30,05,948.00	2,92,35,712.00	2,37,70,236.00
	Total	2,79,25,994.00	3,08,04,235.00	7,31,190.00	5,94,61,419.00	3,36,68,530.00	2,57,92,889.00

Total as per General Cash Book as on 31.03.2024 (Bank-₹25798904 + Cash in hand – ₹985)	25792889
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2024. (Detail Given Below)	25798904

Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2024	6015
---	------

Detail of Bank Accounts as on 31.03.2023

Sno	Account No.	Bank Name	Amount (₹)
1	50100487452231	HDFC Bank	1801799
2	50100456052336	HDFC Bank	21179568
3	50100378126238	HDFC Bank	20265
4	50100413140964	HDFC Bank	2619
5	50100487452409	HDFC Bank	217536
6	50100420632227	HDFC Bank	570068
7	50100451368635	HDFC Bank	281813
8	6616101001174	Canara Bank	7886
9	50068374261	Kangra Co-op Bank	1711998
10	65170272103	SBI	5352
			25798904

Bank Reconciliation Statement

Balance as per Cash Book as on 31-03-2024	25792889
Add :- cheque issued but not debited by bank – Chq No 453383 dated 22.03.24 – M/s Brjeshwari Arts	7000
Balance	25799889
Balance as per Banks Pass books	25698904
Cash in hand	985
Difference	0

(ख) पेंशन/प्रेचुटी रोकड़ बही

Year	Opening Balance (₹)	Receipt During the Year (₹)	Intrest Received (₹)	Total (₹)	Expenditure (₹)	Closing Balance (₹)
2023-24	47348	74208	2297	123853	0	123853

Balance as per Bank A/c

Sno	Account No.	Bank Name	Amount (₹)
1	50100456293633	HDFC Bank	123853

5.1 तुलन पत्र (Balance Sheet) तैयार न करना व दोहरी लेखा पद्धति को लागू न करने के कारण लेखों का सत्यापन न कर पाना :-

निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र सं. UD -H(C)-15-49/2003-III 3332-3379 Dt. 25.03.2009, UD -H(C)-15-49/2003-III 9337-9385 Dt. 07.09.2009, और पत्र सं. UD-H(C)-15-49/2003-IV 5215-63 Dt. 19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए किन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा खातों को नगर पंचायत शाहपुर द्वारा उक्त आधार पर तैयार नहीं किया गया था इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि हेतु तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर भी लेखा खाते तैयार नहीं किये गये थे जिस कारण संस्था के लेखा खातों का तलपट (Trial Balance) व तुलन पत्र (Balance Sheet) के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सका। अंकेक्षण अवधि के दौरान नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था, जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिए गया है। अतः निदेशक, शहरी विकास विभाग हि.प्र. के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखापद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर अनुरक्षण करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5.2 नगर पंचायत के तीन वर्षों का आय-व्यय का विवरण :-

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार संस्था के गत तीन वर्षों अर्थात् 2020-21 से 2022-23 तक के आय व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	स्व: स्रोत से आय (₹)	अनुदान राशि (₹)	कुल व्यय (₹)
2021-22	1599486	20076649	12894134.90
2022-23	1603649	28703274	31429152.50
2023-24	1873317	28930918	33668530.00

6 निवेश :-

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

7.1 अनुदान

वित्तीय स्थिति :-

नगर पंचायत शाहपुर द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2023 से 3/2024 तक से सम्बंधित अनुदान की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट "3" में भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अनुदान प्राप्त (₹)	कुल राशि (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (₹)
2023-24	24075030	28930918	53005948	29235712	23770236

7.2 अनुदान की अनुपयुक्त ₹237.70 लाख का शेष :-

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट - "3" पर अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुदान की राशि में से दिनांक 31-3-2024 को ₹2,37,70,236 /- की अनुपयुक्त राशि शेष थी, जबकि अनुदानों से संबन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ निश्चित अवधि के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे सचिव, नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अधियाचना संख्या-22, दिनांक 11-02-2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 के माध्यम से अंकेक्षण को सूचित किया कि उपरोक्त राशि को आगामी वित्त वर्ष में खर्च कर लिया जाएगा। अतः अनुपयुक्त राशियों को उन्ही उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिन उद्देश्यों हेतु यह प्राप्त की गई थी तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 अनुदानों से व्यय ₹292.36 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट "4" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से ₹2,92,35,712 /-का व्यय दर्शाया गया था लेकिन दिनांक 31-03-2024 तक अनुदानों के व्यय से सम्बंधित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में अनुदानों के उपयोग का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका। उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे सचिव, नगर पंचायत

को अंकेक्षण अध्याचना संख्या-22, दिनांक 11-02-2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त खर्च किये अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार खर्च किये अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों सम्बन्धित संस्था को जारी न करना गम्भीर अनियमितता है। अतः उपरोक्त अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था को जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 गृह कर की ₹24.28 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन गृहकर है, जिससे प्राप्त आय को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है, नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विवरण परिशिष्ट "5" में दिया गया है, के अनुसार नगर पंचायत को दिनांक 31-03-2024 तक कुल राशि ₹24,27,997/- गृहकर के रूप में वसूलनी शेष थी, जो निम्न प्रकार से है :-

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	मांग (₹)	कुल मांग (₹)	प्राप्ति (₹)	अंतशेष (₹)
2023-24	0	2490613	2490613	62616	2427997

नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केवल मात्र ₹62,616/- का गृहकर वसूल किया गया है, जोकि कुल मांग का 2.5% है। गृहकर की वसूली न करना एक अति गम्भीर वित्तीय अनियमितता का मामला है। उक्त राशि की वसूली नियमित तौर पर न करने बारे सचिव, नगर पंचायत को अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 24, दिनांक 13.02.25 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उनके पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 द्वारा सूचित किया गया कि नई नगर पंचायत होने के कारण पहली बार इसी वित्तीय वर्ष से गृहकर की वसूली करना शुरू की है इसलिए कम वसूली हुई है तथा भविष्य में उपरोक्त राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 गृहकर की मांग एवं संग्रहण पंजिका प्रस्तुत न करने बारे :-

गृहकर से सम्बन्धित मांग तथा संग्रहण रजिस्टर व अन्य आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। उपरोक्त प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर का मांग तथा संग्रहण रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा, जोकि गम्भीर मामला है। अध्याचना

संख्या 09 दिनांक 20.01.25 द्वारा गृहकर का मांग तथा संग्रहण रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वांछित अभिलेख के अभाव में नगर पंचायत द्वारा दर्शाई गई मांग तथा बकाया राशि की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए गृहकर के मांग तथा संग्रहण रजिस्टर को संधारित कर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.1 घर-घर से कूड़ा एकत्रीकरण हेतु यूजर चार्ज के ₹26.23 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर पंचायत की आय का मुख्य साधन घर-घर से कूड़ा करकट (User charges) भी है, जिससे प्राप्त आय, को वहाँ की जनता की सुविधाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अतः इसकी नियमित तौर पर वसूली की जानी जरूरी है। नगर पंचायत शाहपुर द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार प्रस्ताव संख्या 53/2021, दिनांक 24.08.21 द्वारा दरें निर्धारित की गई थी। परन्तु दिनांक 31.03.2024 तक घर-घर से कूड़ा करकट के रूप में ₹26,23,425/-की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका इसका विस्तृत विवरण इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट "6" में भी दिया गया है।

Year	Opening Balance (₹)	Demand (₹)	Total (₹)	Collection (₹)	Balance (₹)
2023-24	1355550	2098800	3454350	830925	2623425

उपरोक्त प्रकरण के सन्दर्भ में सचिव, नगर पंचायत शाहपुर को अंकेक्षण अध्याचना संख्या- 24 दिनांक 13 -02-2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था। इस सम्बन्ध में सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त बकाया राशि की वसूली कर ली जाएगी। अतः डोर टू डोर (घर द्वारा) कूड़ा एकत्रीकरण हेतु यूजर चार्ज की नियमित तौर पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 कूड़ा संग्रहण योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय के विरुद्ध कम आय के कारण नगर पंचायत को ₹32.62 लाख की वित्तीय हानि।

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना/अभिलेख के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान डोर-टू-डोर गार्बेज यूजर चार्ज (Door to Door Garbage Collection) के रूप में ₹8,30,925/- (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "7") प्राप्त/एकत्रित किये थे तथा इसके एवज में गार्बेज एकत्रीकरण तथा सैनिटेशन पर ₹40,93,150/- (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "7.1") खर्च किये गये थे, जिसके फलस्वरूप नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार

₹32,62,225/- की अधिक राशि व्यय की गई जबकि नगर पंचायत द्वारा वार्षिक मांग के बराबर राशि की वसूली भी नहीं की जा रही है।

Year	Amount received on account of Door to Door Garbage Collection Charges (₹)	Amount incurred on this account (₹)	Deficit (₹)
2023-2024	8,30,925.00	40,93,150.00	(-)32,62,225.00

उपरोक्त वित्तीय हानि का मुख्य कारण कम दर से वसूली करना, बकाया राशि की वसूली हेतु ठोस कदम न उठाना, नगर पंचायत के स्तर पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की तैनाती व व्यक्तिगत बही खातों का संधारण न करना इत्यादी है। मांग व प्राप्ति रजिस्टर का संधारण न किये जाने के परिणामस्वरूप उक्त आय शीर्षक की मांग, बकाया, उपयोगकर्ता श्रेणी, लागू व वसूली गई दरों इत्यादि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित उपयोगकर्ता श्रेणी व उन पर लागू दर इत्यादि का उल्लेख प्राप्त शुल्क की रसीदों व अन्य कहीं भी न पाए जाने के अभाव में किसी भी प्रकार से कम वसूली व वित्तीय गड़बड़ी की संभावना को भी नहीं नकारा जा सकता है।

(i). नगर पंचायत शाहपुर के प्रस्ताव संख्या प्रस्ताव संख्या 53/2021, दिनांक 24.08.21 के अंतर्गत डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन ((Door to Door Garbage Collection) हेतु उपयोगकर्ता की श्रेणी का वर्गीकरण तथा देय शुल्क निर्धारित किया गया था। उक्त प्रस्ताव के तहत जारी तालिका में उपयोगकर्ता के वर्गीकरण/श्रेणी के हिसाब से अलग-2 दरें थी, जैसे मकान-₹50/-, ढाबा/कैंटीन-₹300/-, निजी पाठशाला-₹500, वर्क-शॉप-₹500, इत्यादि परन्तु अंकेक्षण दौरान अभिलेखों/रसीदों के अवलोकन में पाया गया कि इस प्रकार के वर्गीकरण किये बिना केवल ₹100/- तथा ₹200/- की नाममात्र दर से शुल्क की वसूली की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई हेतु विभाग के उच्चाधिकारियों का विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

9.3 गार्बेज यूजर चार्जेज (Door to Door Garbage Collection) से प्राप्त राशि को बैंक में विलम्ब से जमा करने बारे :-

सामान्यतः सरकार द्वारा आय के रूप में प्राप्त धन राशि को उसी दिन या अगले कार्य दिवस को रोकड़ बही में इंद्राज कर सरकारी खजाने/बैंक में जमा करवाना अपेक्षित है।

आय के चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार यूजर चार्जेज (Door to Door Collection) से प्राप्त राशि को 6 दिन से लेकर 82 दिन के लम्बे

अन्तराल के बाद रोकड़ बही में इंद्राज कर बैंक में से जमा करवाया है, जोकि सामान्य सरकारी वित्त नियम के विपरीत है, इससे सरकारी धन के दुर्वियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता। जिस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

Sr.No.	Ward No	Book No	Receipt No (From-to)	Receipts Date /Period	Date of Entered in Cash book/ Deposit in bank	Amount (₹)	No of late days
1	3	106	91	10.10.2023	01.01.24	100	82
2	3	106	92-94	02-12-2023	01.01.24	400	30
3	3	106	95-100	04-12-2023	01.01.24	600	28
4	7	110	33-56	14-12-2023	01.01.24	2300	18
5	7	110	57-76	27-12-2023	01.01.24	1950	5
6	3	114	,01-26	04-12-2023	01.01.24	3500	28
7	3	114	27-41	14.12.2023	01.01.24	2600	18
8	3	114	42-59	15.12.2023	01.01.24	2000	17
9	3	114	60-76	16.12.2023	01.01.24	1700	16
10	3	114	77-88	17.12.2023	01.01.24	1200	15
11	3	114	89	18.12.2023	01.01.24	100	14
12	3	114	90	26-12-2023	01.01.24	100	6

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 15 दिनांक 01.01.25 के प्रत्युतर में सचिव ने पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य यूजर चार्जेज (Door to Door Collection) से प्राप्त नगद राशि को समय रहते बैंक में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नगर पंचायत की समस्त प्राप्तियों को नियमानुसार रोकड़ बही में दर्ज कर बैंक में जमा करवाया जाए एवं इस प्रकार की त्रुटी न दोहराई जाए।

9.4 वार्ड वार संधारित रजिस्ट्रों में पाई गई अनियमितताएं :-

अंकेक्षण के दौरान घर-घर से कूड़ा एकत्रीकरण से अर्जित आय के लिए वार्ड वार संधारित रजिस्ट्रों के अवलोकन दौरान निम्न अन्य अनियमितताएं भी पाई गई :-

1. आय से संबंधित वार्ड-वार लगाये गये रजिस्ट्रों/ खाताबही के प्रथम पृष्ठ पर सक्षम अधिकारी की ओर से पृष्ठ गणना प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया था।
2. रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों को न तो संधारित कर रहे कर्मचारी द्वारा तथा न ही उसके निरीक्षण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था।
3. खाता बहियों/रजिस्ट्रों में करदाता के नाम, मोबाइल नम्बर, पते इत्यादि दर्ज नहीं किये गये थे।

4. प्रस्ताव संख्या 53/2021, दिनांक 24.08.21 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कूड़ा पैदा करने वाली इकाइयों (Garbage Generating Units) हेतु तथा एक ही प्रकार की इकाइयों का भी विभिन्न उप-श्रेणियों में जैसा कि आवास के प्रसंग में क्षेत्रफल, विद्यालयों के प्रसंग में विद्यार्थियों की संख्या, कार्यालय, गेस्ट हाउस, पी. जी. के प्रसंग में कमरों की संख्या, हॉस्पिटल के प्रसंग में बेड्स की संख्या तथा कुछ व्यवसायों के प्रसंग में व्यवसाय के स्केल के आधार पर वर्गीकरण कर/ चार्ज की दरें निर्धारित की गई थी तथा तदनुसार ही वसूली तथा अभिलेख सृजन भी अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वार्ड वार संधारित रजिस्ट्रों में करदाता की श्रेणी तथा उप-श्रेणी तथा उनसे देय दर बारे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया गया जो कि अनियमित है तथा अंकेक्षण के दौरान नमूना परिक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा सभी श्रेणियों से दो दरें ₹100/- (household) तथा ₹200/- (अन्य) के अंतर्गत ही यूजर चार्ज /कर वसूला जा रहा है, जिस कारण नगर पंचायत को निरंतर वित्तीय हानि हो रही है। चर्चा दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि भविष्य में उपरोक्त वर्णित अनियमिताओं को ध्यान में रखकर रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाएगा। अतः घर-घर से कूड़ा एकत्रीकरण हेतु यूजर चार्ज प्राप्त के लिए लगाये गये रजिस्ट्रों का नियमानुसार संधारित कर कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.1 तह बाजारी की ₹5435/- वसूली हेतु शेष :-

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट " 8" पर प्रस्तुत सूचनानुसार नगर पंचायत को दिनांक 31-03-2024 तक कुल राशि ₹5,435/-तहबाजारी के रूप में वसूलनी शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Year	Opening Balance (₹)	Demand (₹)	Total (₹)	Collection (₹)	Balance (₹)
2023-24	0	140000	140000	134565	5435

10.2 तह बाजारी की मांग एवं संग्रहण पंजिका प्रस्तुत न करने बारे :-

संस्था द्वारा अंकेक्षण को तहबाजारी की मांग तथा संग्रहण पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में तहबाजारी की मांग, प्राप्ति तथा बकाया राशि की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अधियाचना संख्या 09 दिनांक 20.01.25 द्वारा तहबाजारी रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तहबाजारी के मांग तथा संग्रहण रजिस्टर को अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किए जाएं।

11.1 विवाह का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा विवाहों का पंजीकरण 27.09.2022 के उपरान्त भी ऑनलाइन माध्यम/मोड से करने के अतिरिक्त मैनुअल आधार पर किया जा रहा है, जोकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या: UD-H(A)-(3)-3/87-V-40308-69 दिनांक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व तुरन्त प्रभाव से आवश्यक आगामी कार्यवाई अमल में लाते हुए अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11.2 विवाह शुल्क शीर्ष के अंतर्गत एकत्रित राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/23 से 03/24 के दौरान विवाह पंजीकरण से प्राप्त/एकत्रित ₹13,800/- (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "9") को उक्त राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत जमा नहीं करवाया जा रहा था जोकि उक्त प्रावधान के दृष्टिगत अनियमित है। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वसूली गई राशि को शीघ्रातिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12. मोबाईल टावरों की स्थापना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध न करवाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत क्षेत्र में सरकारी जमीन पर स्थापित मोबाईल टावरों से सम्बन्धित सूचना /अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे दिनांक 31/03/2024 को सरकारी जमीन पर स्थापित मोबाईल टावरों की नवीनीकरण फ़ीस के रूप में कितनी राशि वसूली जानी अपेक्षित थी, का पता नहीं लगाया जा सका। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8.2 में भी इस बारे लिखा गया था, चर्चा दौरान अंकेक्षण को बताया गया कि क्योंकि यह नगर पंचायत (2020 में अधिसूचित) नई बनी है, इसलिए मोबाईल टावरों की स्थापना से सम्बन्धित अभिलेख नगर पंचायत में उपलब्ध नहीं है, जिस बारे गत पंचायत के सचिव से जानकारी प्राप्त करके अंकेक्षण को

अवगत करवा दिया जाएगा। अतः नगर पंचायत क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टावर स्थापना से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख पंचायती राज विभाग से प्राप्त कर अनुपालना से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 बिजली उपकरण की वसूली न करना व बिजली उपकरण मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० यस० जी० डी० 94 / 9 (1) दिनांक 24.08.2000 के अनुसार नगर पंचायत के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बोर्ड द्वारा नगर पंचायत को भुगतान किये जाने का प्रावधान है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 01.04.23 से 31.03.24 के लिए बिजली उपकरण की वसूली बिजली विभाग से नहीं की गई थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा बिजली उपकरण मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वर्ष 2023-24 तक बिजली उपकरण के रूप में कितनी राशि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि मार्च 2024 तक बिजली बोर्ड से लेनी शेष थी। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित संस्था से इस राशि की वसूली एवं सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14. Labour Cess (श्रम उपकरण) ₹1.59 लाख को सरकारी खाते में जमा न करवाने बारे :-

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख / प्रदत्त सूचना (विस्तृत विवरण परिशिष्ट " 10") के अवलोकन पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निर्माण कार्यों के संविदा कारों के बिलों से 1% Labour Cess (श्रम उपकरण) के रूप में की गई कटौती ₹1,59,402/- को सम्बन्धित विभाग/ बोर्ड (Himachal Pradesh Building and other construction Worker Welfare Board) में जमा नहीं करवाया गया जोकि गम्भीर मामला है।

उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 11 दिनांक 21.01.2025 द्वारा सचिव के ध्यान में लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में पत्र सं० शून्य दिनांक 15.02.25 के माध्यम से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर पंचायत में फण्ड की कमी के कारण उपरोक्त राशि जमा नहीं करवाया जा सका तथा शीघ्र ही इसे जमा करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त श्रम उपकरण को सम्बन्धित संस्था में जमा करवा जाए तथा यदि अंकेक्षण अवधि से पूर्व की भी कोई राशि जमा

नहीं हुई तो उसे भी जमा करवा कर कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ यह कहना भी उचित होगा कि यदि सम्बन्धित विभाग द्वारा कोई दण्ड अथवा अधिभार लगाया जाता है तो नगर पंचायत का DDO (आहरण एवं वितरण अधिकारी) निजि रूप से इसके लिए जिम्मेवार होगा।

15.1 Sanitation Contractor- M/s Sanjay Kumar को किये ₹ 3,42,700/- के भुगतान बारे।

वॉउचर संख्या 16,17 दिनांक 09.01.24 ₹ 3,42,700/- (M/s Sanjay Kumar bill No. 22 dated 02.01.24) के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं।

1. अनुबंध की शर्त (K) के अनुसार संविदाकार को सफाई कर्मचारियों का दैनिक उपस्थिति रजिस्टर का रख-रखाव करना होगा तथा साप्ताहिक हाजरी नगर पंचायत को प्रस्तुत करनी होगी ठेकेदार द्वारा सैनिटेशन कार्य पर नियुक्त, 25 सफाई कर्मचारियों की हाजरी से सम्बन्धित रिकॉर्ड/अभिलेख उक्त वॉउचर के साथ संलग्न नहीं था, जिससे अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो सकी कि संविदाकार द्वारा वास्तव में सफाई के कार्य हेतु रखे गये सभी कर्मचारियों द्वारा माह 12/23 में सफाई का कार्य किया गया अथवा नहीं।

2. अनुबंध की शर्त (L) के अनुसार संविदाकार को साप्ताहिक शिकायत रिपोर्ट (प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा शिकायतों का समाधान) नगर पंचायत को प्रस्तुत करनी होगी, साप्ताहिक शिकायत रिपोर्ट भी उक्त वॉउचर के साथ संलग्न नहीं थी।

3. सफाई कर्मचारियों का ESI/EPF अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण, अंशदान, कटौती तथा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि से सम्बन्धित रिकॉर्ड/चालान नस्ति में उपलब्ध नहीं थे, जिसके अभाव में अंकेक्षण में पुष्टि नहीं हो सकी कि संविदाकार द्वारा सफाई पर रखे कर्मचारियों का नियमानुसार ESI/EPF सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जा रहा है या नहीं।

अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त संविदाकार को निम्न विवरणानुसार 01.01.22 से 31.03.25 तक पांच बार एक्सटेंशन दी गई थी, जबकि कार्यवाही रजिस्टर प्रस्ताव संख्या 238 दिनांक 28.03.23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित करना अपेक्षित थी। इस प्रकार ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित न करके बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त संविदाकार को मासिक भुगतान की निर्धारित राशि के लिए न्यायोचित दर (Justification and Rate Analysis) का निर्धारण भी नहीं किया गया था।

Particulars	Period	Monthly Amount (₹)	No of Safai Karmchhari & Vehicles provided by Contractor (As per agreement)
Initial /Started	01.01.22 to 31.12.22	2,53,200/-	20 person+1 vehicles
	01.05.22 to 31.12.22	Rs.52000/-	Additional 5 person
Extesion	01.01.23 to 31.03.23	3,42,700/-	25 person + 1 vehicles
Extesion	01.04.23 to 31.12.23	3,42,700/-	25 person + 1 vehicles
Extesion	01.01.24 to 31.03.24	3,42,700/-	25 person +1 vehicles
Extesion	01.04.24 to 30.06.24	3,42,700/-	25 person +1 vehicles
Extesion	01.07.24 to 31.03.25	4,17,700/-	24 person +1 Supervisor and 1 Vehicle

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 16 दिनांक 03.02.25 के प्रतिउत्तर पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि भविष्य में संविदाकार को अनुबंध में वर्णित शर्तों के पूरा करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाएगा तथा न्यायोचित दर निर्धारण उपरान्त ऑनलाइन आधार पर टेंडर आमंत्रित किये जाएंगे। अतः वर्णित अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15.2 टेंडर से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

वॉचर संख्या 18,19 दिनांक 09.01.24 ₹ 42,000/- (M/s Sunil Kumar , Bill No. 23 dated 02.01.24) के अंकेक्षण तथा नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार नगर पंचायत द्वारा Door to Door से एकत्रित गार्बेज कलेक्शन को काँगड़ा सॉलिड Waste सेंटर में पहुँचाने के लिए M/s Sanjay Kumar के साथ मासिक ₹42,000/- पर चौपहिया वाहन प्रदान करने के लिए 30.09.23 को अनुबंध किया गया। नगर पंचायत द्वारा इससे सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया तथा अनुबंध की शर्त" 5" के अनुसार संविदाकार को वाहन में लगाए गये कर्मचारी/ड्राइवर की प्रतिदिन की हाजरी नगर पंचायत के पास दर्ज करवानी होगी, उसका हाजरी रजिस्टर भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि उपरोक्त संविदाकार को निम्न विवरणानुसार शुरू(30.09.23) से अब तक तीन बार एक्सटेंशन दी गई है नगर जबकि , पंचायत के रजिस्टर प्रस्ताव संख्या कार्यवाही 239 दिनांक 28.03.23 के अनुसार वित्तीय वर्ष

2024-25 के लिए ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित करनी अपेक्षित थी जो नहीं की गई। अतः उक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए।

M/s Sunil Kumar (Supply of one vehicle for carrying garbages to Kangra)

Particulars	Period	Monthly Amount (₹)	Remarks
	Initial date to 30.09.23	--	Tender files agreement not presented
Extesion	01.10.23 to 31.03.24	42000/-	
Extesion	01.04.24 to 30.06.24	42000/-	
Extesion	01.07.24 to 31.03.25	42000/-	

उपरोक्त अनियमितताओं को अंकेक्षण अध्याचना संख्या 16 दिनांक 03.02.25 द्वारा सचिव नगर पंचायत के ध्यान में लाया गया व उनके प्रत्युत्तर पत्र सं० शून्य दिनांक 15.02.25 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि टेंडर फाइल को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा तथा भविष्य में इसका ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। अतः उक्त टेंडर फाइल को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करें तथा अनुबंध समाप्ति उपरान्त ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

16. विद्यालय में Speech Stage निर्माण के लिए प्राप्त ₹ 4.00 लाख के एवज में ₹5.46 के कार्य निष्पादन बारे :-

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना के अनुसार दिनांक 27.02.23 को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, शाहपुर से चैक संख्या 452820 के द्वारा ₹4.00 लाख की राशि विद्यालय में "Speech Stage" के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त हुई।

नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार उपरोक्त कार्य को दो अलग-अलग नामों (Furnishing work of small speech stage in Govt Sr. Sec School Shahpur ₹ 1,28,180/- व Stage Govt Sr. Sec School Shahpur ₹ 4,17,518/-) से कुल ₹ 5,45,698/- राशि के कार्य हेतु व्यय की गई :-

Tender No	Date	Name of Work	Estimated Cost (₹)	Awarded Amount (₹)	Amount Assessed by JE (₹)	Payment paid (₹)	Balance to be paid (₹)
NPS/2023/1855-1861	17.02.23	Furnishing work of small speech stage in Govt Sr. Sec School	121869	128180	128391	128391	0

		Shahpur					
NPS/2023/978-83	17.03.23	Stage Govt Sr. Sec School Shahpur	283734	417518	417207	271609	145598
Total			405603	545698	545598	400000	145598

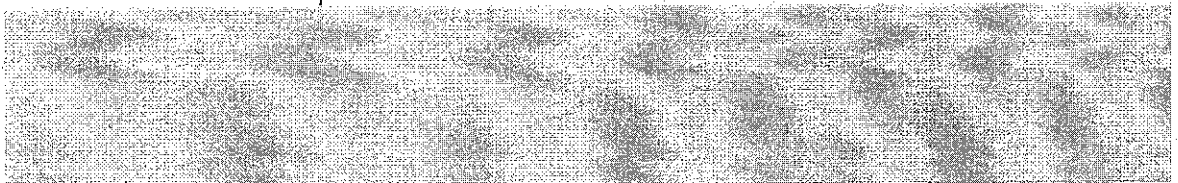
इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाहपुर से Speech Stage निर्माण के लिए प्राप्त राशि ₹4,00,000/- के एवज में ₹5,48,598/- का कार्य निष्पादित कर दिया गया जो कि अनियमित हैं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाहपुर से बकाया राशि ₹1,45,598 (5,45,598-4,00,000) को प्राप्त भी नहीं किया गया है।

उपरोक्त अनियमितता को अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 17 दिनांक 04.02.25 द्वारा सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में लाया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः नगर पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के लिए प्राप्त राशि ₹4.00 लाख के एवज में ₹5.46 लाख अर्थात् ₹1.46 लाख के अधिक राशि के कार्य आवंटित व निष्पादित करने तथा एक ही निर्माण कार्य को दो निर्माण कार्यों में विभाजित करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शाहपुर से बकाया राशि ₹1,45,598 (5,45,598-4,00,000) को प्राप्त कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17. संविदाकार द्वारा MMSAGY के अन्तर्गत स्थानीय श्रमिकों को मजदूरी कार्य प्रदान न करने बारे :-

निर्माण कार्य के अवार्ड पत्र संख्या NPS/2023-1950 दिनांक 16.03.23 की शर्त संख्या 21 के अनुसार, "The contractor shall employ local labour under MMSAGY and minimum 5% of the awarded amount shall be deducted and be paid to the labour under MMSAGY." ठेकेदार MMSAGY के तहत स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त करेगा और अवार्ड की गई राशि का न्यूनतम 5% काट लिया जाएगा और MMSAGY के तहत श्रमिक को भुगतान किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संविदाकार द्वारा निम्नलिखित निर्माण कार्य में MMSAGY के तहत स्थानीय श्रमिकों को नियुक्त नहीं किया गया जो कि उपरोक्त अवार्ड की शर्तों का उल्लंघन था।



कार्य का नाम	अवार्ड पत्र संख्या/दिनांक	संविदाकार का नाम	माप पुस्तिका /पृष्ठ संख्या	कार्य अवार्ड राशि (₹)	अवार्ड राशि का 5% (₹)
C/o Small Speech Stage in Govt Sr. Sec. School Shahpur	NPS/2023-1950/16.03.23	M/s Pankaj Nariyal	,04/73	417518	20876

उपरोक्त अनियमितता को अंकेक्षण की अधियाचना संख्या 18 दिनांक 05.02.25 द्वारा सचिव, नगर पंचायत के ध्यान में लाया गया के प्रत्युत्तर में अंकेक्षण को उनके पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 सूचित किया गया कि भविष्य में संविदाकार से उपरोक्त शर्त का पालन करवाया जाएगा। अतः भविष्य MMSAGY के तहत स्थानीय श्रमिकों को उपरोक्त शर्त के अनुसार संविदा कार के निर्माण कार्य में नियुक्त करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18. मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अन्तर्गत ₹0.75 लाख के भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के अंकेक्षण में पाया गया नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वॉउचर संख्या 28 , दिनांक 12-01-24 को मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत ₹ 74,625/- (199 man days@375) का भुगतान किया गया है, जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई :-

1. हाजरी रजिस्टर को कनिष्ठ अभियंता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
2. MMSAGY योजना के अन्तर्गत Self Works की योजना तैयार करके हॉउस से स्वीकृत करवाया जाना अपेक्षित था तथा उसकी सूचना निदेशक, शहरी विकास विभाग, शिमला -09 को प्रेषित करनी अपेक्षित थी, से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।
3. MMSAGY के अन्तर्गत किए कार्य को कनिष्ठ अभियंता द्वारा मापन व सत्यापित नहीं किया गया।
4. MMSAGY योजना के दिशा-निर्देश संख्या 8सी के अनुसार मजदूरी का भुगतान पाक्षिक (Fortnightly) आधार पर 7 दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित है, जबकि नगर पंचायत द्वारा मजदूरी का भुगतान मासिक आधार पर किया गया था।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मजदूरी की राशि का भुगतान 12 व्यक्तियों को किया गया तथा वॉउचर के साथ संलग्न शीट में दर्शाए इन व्यक्तियों के जॉब कार्ड संख्या को ऑनलाइन जॉब

करने पर पाया गया कि वॉउचर में जो नाम दर्ज किया गया ऑनलाईन पोर्टल में कोई और नाम दर्शाया जा रहा है। जोकि अनियमित प्रतीत होता है जिसे न्यायोचित ठहराया जाए।

क्र०सं०	जॉब कार्ड न०	वॉउचर के साथ सलग्र शीट के अनुसार नाम	ऑनलाईन पोर्टल पर दर्शाए नाम	टिप्पणी	राशि
1	02242970151004	Neelam Devi	Anu Radha		6750
2	02242970152007	Gohadi Devi	Kamaljeet		4500
3	02242970152008	Anjana Kumari	Gohadi Devi		6000
4	02242970153001	Sumana Devi	Rekha Devi		6750
5	02242970153002	Seema Devi	Sumana Devi		5625
6	02242970157053	Sarita	Not found		7500
7	02242970157037	Aman Kumar	Not found		7500
8	02242970157051	Suman Kumar	Not found		5625
9	02242970157006	Rita Devi	Salochana Devi		5625
Total					55875

अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अध्याचना संख्या 20 दिनांक 11-02-2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया के प्रत्युत्तर में सचिव, नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया भविष्य में उक्त अनियमितताओं को ध्यान रखते हुए भुगतान किया जाएगा तथा जॉब कार्ड में नामों में विभिन्नता के बारे में छानबीन उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः भविष्य में सरकार द्वारा मुख्यमन्त्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना अनुपालना से लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाए।

19. प्रधानमन्त्री आवास योजना के अन्तर्गत ₹29.65 लाख के भुगतान बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के अंकेक्षण में पाया गया नगर पंचायत शाहपुर द्वारा वॉउचर संख्या 15, दिनांक 09-01-24 को प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार 62 लाभार्थियों को ₹ 29,75,000/का भुगतान किया गया था, जिसमें निम्न अनियमितता पाई गई :-

- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के अंतर्गत लाभ लेने हेतु प्रस्तुत आवेदन व समर्थित दस्तावेज़ से संबंधित नस्तियां अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई।
- स्वीकृति आदेश पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये।
- निर्माण कार्य की चरणवार Geo-tagging report अभिलेख में उपस्थित नहीं थी।

Sno	Particulars	No of Beneficiaries	Amount (₹)
1.	First Installment	6	3,00,000.00
2.	Second Installment	23	11,50,000.00
3.	Third Installment	24	12,00,000.00
4.	Fourth Installment	9	3,15,000.00
Total			29,65,000.00

उपरोक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अध्याचना संख्या 19 दिनांक 10-02-2025 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, नगर पंचायत से अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 के माध्यम से सूचित किया कि उपरोक्त दस्तावेजों को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अतः उपरोक्त अनियमितताओं बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए व वर्णित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

20. समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पर ₹5667/- का अधिक भुगतान:-

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या-2006/01-15pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्र संख्या 1 &PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने आवश्यक थे। सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की कार्यकारी एजेंसी ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन (Bureau of Outreach and Communication) (erstwhile DAVP) व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छूट लेने हेतु योग्य है। अंकेक्षण के दौरान समाचार पत्रों को दिए विज्ञापनों की नमूना पड़ताल पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹37,779/- (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "13") का भुगतान विज्ञापनों हेतु किया गया उन पर 15% की छूट प्राप्त नहीं की गई, जिस कारण विज्ञापनों हेतु भुगतान अनुबंधित दरों की तुलना में अधिक दरों से करने के कारण ₹5667/- का अधिक भुगतान किया गया।

Year	Total Amount paid for Advertisement published in different Newspapers	Rate	Amount (₹)
2023-24	37,779.00	15%	5,667.00

अतः वर्णित अनियमितता को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21. गलत वेतन निर्धारण के कारण राशि ₹4020/- का अधिक भुगतान करने बारे :-

हि० प्र० सरकार वित्त (नियमन) विभाग की अधिसूचना संख्या Fin(C)-B(7)-1/2021 दिनांक 03.01.2022 के नियम 8 (iv)(a) के अनुसार - (iv) In case the Govt Employee opt to get his pay fixed from the date of his next increment, in the level of the post from which Govt employees is promoted , his pay shall be regulated as under. (a) from the date of promotion till his date of next increment, the Govt Employee shall be placed at the next higher cell in the level of the post to which he is promoted”

श्री प्रदीप कुमार (सचिव) की सेवा पुस्तिका के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री प्रदीप कुमार को दिनांक 18.02.20 को Sanitary Inspector (लेवल-10 , सेल-8 , वेतन राशि 46,800/-) से Secretary (लेवल-12) के लिए पदोन्नत किया गया। चूंकि श्री प्रदीप कुमार (सचिव) द्वारा FR (22)(1)(a)(i) के अंतर्गत वेतन निर्धारित करवाया था , व उनकी अगली वेतन वृद्धि तिथि 01.05.20 निर्धारित थी , अतः उपरोक्त नियमानुसार इनका दिनांक 18.02.20 से 30.04.20 तक का वेतन ₹ 47,000/- (लेवल-12, सेल-4) पर निर्धारित होना अपेक्षित था। जबकि नगर पंचायत द्वारा दिनांक 18.02.20 से 30.04.20 तक का वेतन ₹ 48,400/- (लेवल-12, सेल-5) पर निर्धारित किया गया। इस प्रकार 18.02.20 से 30.04.20 के दौरान कुल ₹4020 /- (Basic-3350+DA 20%-670) का अधिक वेतन निर्धारित किया गया , जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Name of Employee	Sh. Pardeep Kumar
Date of Promotion	18.02.20
Pay fixation option	FR-22(1)(a)(i)
Date of joining on promoted post	18.02.20

Post from which is promoted	Sanitary Inspector		
Pay on 17.02.20 on the post of Sanitary Inspector	46800 (Level-10,Cell-8)		
Post to which is promoted	Secretary		
Pay fixed wef 18.02.20 to 30.05.20	48400 (Level-12,Cell-5)		
Pay to be fixed wef 18.02.20 to 30.04.20	47000 (Level-12,Cell-4)		
Month/Period	Pay Fixed= 48400/-	Pay to be Fixed =47,000	Difference
18.02.20 to 28.02.20	19014	18464	550
Mar-20	48400	47000	1400
Apr-20	48400	47000	1400
Total	115814	112464	3350

Working of Feb-2020 Salary

Pay Fixed 18.02.20 to 28.02.20 = 48400/28*11			19014
Pay to be fixed 18.02.20 to 28.02.20 = 47000/28*11			18464
		Difference	550

Excess basic pay	3350
DA 20%	670
	4020

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 14 दिनांक 01.02.25 के स्पष्टीकरण के उतर में सचिव ने अंकेक्षण को पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.24 को सूचित किया कि सम्बन्धित कर्मचारी से उपरोक्त राशि की वसूली कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अतः उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22. अर्जित व अर्ध वेतन अवकाश को छुट्टी खाते में जमा (क्रेडिट) न करने बारे :-

केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 27(1) के व नियम 29(2)(ए) के अनुसार अर्जित अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश को सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 2½ दिन की दर से जनवरी तथा जुलाई माह को अग्रिम सरकारी कर्मचारी के खाते में अवकाश को जमा किया जाना अपेक्षित है।

श्री प्रदीप कुमार (सचिव) की सेवा पुस्तिका के अंकेक्षण के दौरान पाया गया उनके खाते में अर्जित अवकाश दिनांक 30.06.23 तक तथा अर्ध वेतन अवकाश दिनांक 30.06.20 तक ही

जमा/क्रेडिट किया गया था। इस प्रकार श्री प्रदीप कुमार (सचिव) की सेवा पुस्तिका में 01.07.23 से 31.12.24 तक का अर्जित अवकाश व 01.07.20 से 31.12.24 तक का अर्ध वेतन अवकाश जमा/क्रेडिट किया गया जो कि उपरोक्त नियम के विपरीत है।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 14 दिनांक 01-02-25 द्वारा इस सन्दर्भ में स्पष्टीकरण माँगा गया था, जिसके उत्तर में सचिव ने पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया कि उपरोक्त अवधि के अवकाश को सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश खाते जमा/क्रेडिट कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपरोक्त अवकाश के क्रेडिट का सेवा पंजिका में इंद्राज कर कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

23. प्रतिभूति जमा (Security Deposits) के खाते का संधारण न करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा प्रतिभूति जमा (Security Deposits) के लिए HDFC बैंक में अलग खाता (संख्या 50100449943281) खुलवाया गया है तथा ठेकेदारों के समस्त वर्क बिलों से गई सिक्यूरिटी की कटौती को इस बैंक खाते में जमा करवा दिया जाता है, लेकिन इसके लिए नगर पंचायत द्वारा रोकड़ बही/रजिस्टर आदि का संधारण नहीं किया जा रहा तथा इस खाते में प्राप्त ब्याज जो कि पंचायत की आय का हिस्सा है, को भी मुख्य रोकड़ बही में हस्तांतरित नहीं किया जा रहा। दिनांक 31.03.24 को उक्त बैंक खाते में ₹ 13,39,841.59/- शेष थे।

अंकेक्षण अध्याचना संख्या 23 दिनांक 11.02.25 के प्रति उत्तर में सचिव, नगर पंचायत सचिव द्वारा उनके पत्र संख्या शून्य दिनांक 15.02.25 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रतिभूति जमा (Security Deposits) नगर पंचायत का दायित्व (Liability) होने के कारण इसके लिए रोकड़ बही संधारित नहीं की गई लेकिन अब से इसके लिए रोकड़ बही का संधारण करना शुरू कर दिया जाएगा। अतः प्रतिभूति जमा (Security Deposits) की रोकड़ बही संधारित करके एवं उस पर प्राप्त ब्याज को मुख्य रोकड़ बही में हस्तांतरित किया जाए तथा उसका बैंक खाते से मिलान कर कृत कारवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24. स्टोर /स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी)में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में स्टोर/स्टॉक में पड़ी मर्दों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर

पंचायत द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी जो की वर्णित प्रावधानों की सरासर उल्लंघना है। अतः नियमानुसार स्टोर/स्टॉक का प्रतिवर्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक लेखों में किसी भी दुर्विनियोजन की सम्भावना से बचा जा सके तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

25. महत्व पूर्ण अभिलेखों / रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा अवधि 01.04.23 से 31.03.24 तक विभिन्न अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

- (i) गृह कर मांग व प्राप्ति रजिस्टर
- (ii) यूजर चार्ज मांग व प्राप्ति रजिस्टर
- (iii) तहबाजारी वसूली रजिस्टर
- (iv) टेंडर फॉर्म बिक्री रजिस्टर
- (v) वर्क Ledger व कांट्रैक्टर Ledger
- (vi) स्टाफ अग्रिम रजिस्टर
- (vii) सफाई ठेका कार्य से सम्बन्धित अभिलेख
- (viii) T.A. रजिस्टर
- (ix) विज्ञापन रजिस्टर
- (x) अनुदान रजिस्टर
- (xi) Medical Bill Register
- (xii) विद्युत उपकरण प्राप्ति रजिस्टर
- (xiii) शराब उपकरण प्राप्ति रजिस्टर

यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसके परिणाम स्वरूप वित्तीय दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त वर्णित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब जिम्मेवारी निर्धारित करके इन रजिस्ट्रों का

रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदनुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

26. **लघु आपत्ति विवरणी :-** यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई थी अपितु सभी लघु आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान स्थल पर निपटारा कर लिया गया था।
27. **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में अत्यन्त सुधार एवं कड़े निरीक्षण व लम्बित अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की नितान्त आवश्यकता है।

(रविन्द्र कंवर)

संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.2

दूरभाष -0177-2620881

का. ०/प्रति 2818-2820 16 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्या :- फिन (एल0ए0)एच (2)सी 15(V) 114/2023 खण्ड-1 दिनांक, शिमला-09.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-2. को पैरा 1 (ख) द्वारा वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्यवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप-सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत :-3 सचिव, नगर पंचायत शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

16 MAY 2025

(रविन्द्र कंवर)

संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.2

का. ०/प्रति

परिशिष्ट-"1" पैर संख्या -1(ग) के सन्दर्भ में

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/2020से 03/2023 तक

क्रम सं०	पैरा सं०	पैरे की स्थिति	टिप्पणी
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त
	4 (क)	निर्णीत	पुनः प्रारूपित
	4 (ख)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
2	4 (ग)	अनिर्णीत	
3.	4 (घ)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
4.	4 (ङ०)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
	5	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
5.	6	अनिर्णीत	
6	7 (1 व 2)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
7	7(3)	अनिर्णीत	
8	8(1)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
9	8(2)	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
10	9	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
11	10	निर्णीत	(पिछले अंकेक्षण के दौरान 1800/- की वसूली कर ली गई थी)
12	11(क) से(ङ०)	अनिर्णीत	
13	12	अनिर्णीत	
14	13	अनिर्णीत	
15	14	अनिर्णीत	
16	15	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)
17	16	निर्णीत	(पैरा वर्तमान अंकेक्षण में अद्यतन करने पर)

अनिर्णीत पैरों का सार

विवरण	पैरों की संख्या
दिनांक 31.03.23 को अनिर्णीत पैरों का शेष	14
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गये पैरे (उप पैरे सहित)	23
कुल जोड़	37
(-) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किये गये पैरे	13
दिनांक 31.03.24 को अनिर्णीत पैरों का अंतशेष	26

पॉरशिपट- '2' पैरा संख्या '4' के सन्दर्भ में

-1-

Nagar Panchyat Shahpur, Distt Kangra
Financial position as on 31.03.2024 (General Cash)

Year	Name of Head	Opening Balance	Receipts during the year	Interest received	Total	Expenditure	Closing Balance
	Own Source	3,850,964.00	1,873,317.00	731,190.00	6,455,471.00	4,432,818.00	2,022,653.00
2023-24	Grant in Aid	24,075,030.00	28,930,918.00	-	53,005,948.00	29,235,712.00	23,770,236.00
		27,925,994.00	30,804,235.00	731,190.00	59,461,419.00	33,668,530.00	25,792,889.00


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Bank reconciliation Statement as on 31.03.24

Balance as per Cash Book	2,57,92,889
---------------------------------	--------------------

Add :- **Chq issued but not debited by bank (bank a/c no -65170272103 SBI)**

Date	CBP	Chq No	Party Name	Amount	
22.03.24	147	453382	M/s Bajreshwari Arts.	7000	7000

Balance as per Pass Books/Bank Statemenst+Cash in hand	2,57,99,889
---	--------------------

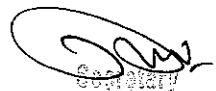
Bank 25798904

Cash in hand 985

25799889

Sno	Account No.	Bank Name	Purpose of bank A/c	Amount
1	,50100487452231	HDFC Bank	SFC	1801799
2	,50100456052336	HDFC Bank	CFC	21179568
3	,50100378126238	HDFC Bank	NP Fund	20265
4	,50100413140964	HDFC Bank	SFC (old)	2619
5	,50100487452409	HDFC Bank	Parking	217536
6	,50100420632227	HDFC Bank	Park	570068
7	,50100451368635	HDFC Bank	MMSAGY	281813
8	,6616101001174	Canara Bank	NP Fund	7886
9	,50068374261	Kangra Co-op Bank	NP Fund	1711998
10	65170272103	SBI	NP Fund	5352
				25798904


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Nagar Panchyat Shahpur, Distt Kangra
Financial position as on 31.03.2024 (Gratuity A/c)

Year	Name of Head	Opening Balance	Gratuity deposited in bank	Interest received	Total	Expenditure	Closing Balance
2023-24	Gratuity A/c	47,348.00	74,208.00	2,297.00	1,23,853.00	-	1,23,853.00

Sno	Account No.	Bank Name	Amount
1	50100456293633	HDFC Bank	123853


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various offices of the city of New York.

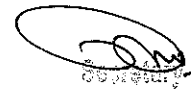
परिशिष्ट (3) - पैरा संख्या '7.1 व 7.2' के संदर्भ में

-1-

Nagar Panchayat Shahpur , Distt Kangra
Summary of Grant in Aid Statement as on 31.03.24

Sno	Grant Head	Opening Balance as on 01.04.23	Receipts during the year 23-24	Total	Expenditure during the year 23-24	Balance as on 31.03.24
1	CFC	16010610	8885702	24896312	4920581	19975731
2	COVID-19	110000	0	110000	110000	0
3	DC Head	183843	1750000	1933843	197620	1736223
4	GSSS Shahpur	400000		400000	400000	0
5	MMSAGY	270350	809275	1079625	822575	257050
6	Parkings	1342000	0	1342000	1200620	141380
7	Parks	1500000		1500000	1049859	450141
8	PMAY	0	6759560	6759560	6759560	0
9	SBM		255400	255400	209810	45590
10	SFC	4258227	10470981	14729208	13565087	1164121
Total		24075030	28930918	53005948	29235712	23770236


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171005


Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Nagar Panchayat Shahpur, Distt Kangra
Detailed Grant in Aid Statement as on 31.03.24

Sr. No.	Sanctioning Authority	Letter No. & Date	Head	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance as on 31-03-24
1	Director, UD Shimla	Previous years	CFC	CFC Intersect (Tied grant)	8009.00		8009.00	8009.00	0.00
2	Director, UD Shimla	Previous years	CFC	CFC Tied Grant	13896633.00	0.00	13896633.00	91433.00	13805200.00
3	Director, UD Shimla	Previous year	CFC	CFC Untied	2305968.00	0.00	2305968.00	2305968.00	0.00
4	Director, UD Shimla	Previous year	COVID-19	COVID-19	110000.00	0.00	110000.00	110000.00	0.00
5	Director, UD Shimla	Previous year	SFC	SFC Grant for the year 2022-23	4258227.00	0.00	4258227.00	4258227.00	0.00
6	Director, UD Shimla	Previous year	Parks	Construction of parks	1500000.00		1500000.00	1049859.00	450141.00
7	Director, UD Shimla	Previous year	MMSAGY	MMSAGY	270350.00	0.00	270350.00	270350.00	0.00
8	Director, UD Shimla	Previous year	Parkings	Construction of parkings	1342000.00	0.00	1342000.00	1200620.00	141380.00
9	Deputy comm	Previous year	DC Head		33843.00		33843.00	22619.00	11224.00
10	Deputy comm	Previous year	DC Head		150000.00		150000.00		150000.00
11	Other Grant	Previous year	GSSS	Development activities in GSSS Shahpur	400000.00		400000.00	400000.00	0.00
12	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-1-1653 dt 03-05-2023 CFC Release-1594-	CFC	CFC Intersect (Tied grant)	0.00	3639.00	3639.00	3639.00	0.00
13	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-1-2490 dt. 10-05-23 CFC Release-2420-	CFC	CFC Tied Grant	0.00	2672296.00	2672296.00	0.00	2672296.00
14	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-1-956 dt. 13-03-24 CFC Release-4898-	CFC	CFC Tied Grant	0.00	2655475.00	2655475.00	0.00	2655475.00


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Nagar Panchayat
Shahpur, Distt Kangra (I.D.)

15	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I- CFC Release-1532-93 dt.3/5/23	CFC	CFC Interset (UnTitled grant)	0.00	2426.00	2426.00	2426.00	0.00
16	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I- CFC Release-60560- 622 dt.2/3/23	CFC	CFC United	0.00	1781530.00	1781530.00	1781530.00	0.00
17	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I- CFC Release-4957- 5018 dt.2/3/23	CFC	CFC United	0.00	1770336.00	1770336.00	777577.00	1042759.00
18	Director, UD Shimla	Online dt 04-04-23	MMSAGY	MMSAGY	0.00	429750.00	429750.00	429750.00	0.00
19	Director, UD Shimla	Online dt 04-11-23	MMSAGY	MMSAGY	0.00	379525.00	379525.00	122475.00	257050.00
20	Director, UD Shimla	online dt 27-04-23	PMAY	PMAY	0.00	1100000.00	1100000.00	1100000.00	0.00
21	Director, UD Shimla	online	SBM	SBM		2000.00	2000.00	2000.00	0.00
22	Director, UD Shimla	online	PMAY	PMAY		9560.00	9560.00	9560.00	0.00
23	Director, UD Shimla	online dt 01-06-23	PMAY	PMAY		1450000.00	1450000.00	1450000.00	0.00
24	Director, UD Shimla	online dt 30-09-23	PMAY	PMAY		700000.00	700000.00	700000.00	0.00
25	Director, UD Shimla	online dt 30-09-23	PMAY	PMAY		2965000.00	2965000.00	2965000.00	0.00
26	Director, UD Shimla	online dt 11-01-24	PMAY	PMAY		50000.00	50000.00	50000.00	0.00
27	Director, UD Shimla	online dt 07-02-24	PMAY	PMAY		485000.00	485000.00	485000.00	0.00
28	Director, UD Shimla	online dt 06-07-23	SBM	SBM		85400.00	85400.00	85400.00	0.00
29	Director, UD Shimla	online dt 30-05-23	SBM	SBM		84000.00	84000.00	84000.00	0.00
30	Director, UD Shimla	online dt 21-02-24	SBM	SBM		84000.00	84000.00	38410.00	45590.00

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171003

32

31	Director, UD Shimla	UD-H(C)(17)-1/2022- SFC Award-13931- 13993 dt 31/07/23	SFC	SFC Grant for the year 2023- 24	0.00	7206809.00	7206809.00	7206809.00	0.00
32	Director, UD Shimla	UD-H(C)(17)-1/2022- SFC Award-13931- 13993 dt 31/07/23	SFC	SFC Grant for the year 2023- 24	0.00	2426672.00	2426672.00	2100051.00	326621.00
33	Director, UD Shimla	No.UD-D(F)-Rain Damages -Engg- Cell/2013.6498-6519	SFC	Rain Damages DRF/NDRF	0.00	837500.00	837500.00	0.00	837500.00
34	Deputy Commissioner Kangra	Relief 896 dt 25-07- 23	DC Head	Protection wall near the land of Gagan Singh	0.00	75000.00	75000.00	0.00	75000.00
35	BDO Rait	No.29971 dated 12- 12-23	DC Head	retaining wall on nallah house of sunil kumar ward no.6	0.00	125000.00	175000.00	0.00	125000.00
36	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02- 24	DC Head	retaining wall in nallah house of capt rakesh kumar ward no.	0.00	150000.00	150000.00	0.00	150000.00
37	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02- 24	DC Head	re-co protection of habitation by construction of retaining wall near land of ravi kumar and other	0.00	125000.00	125000.00	0.00	125000.00
38	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02- 24	DC Head	re-co protection of habitation by construction of retaining wall near land of Pankaj kumar and other	0.00	125000.00	125000.00	0.00	125000.00
39	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02- 24	DC Head	re-c/o retaining wall RCC check Dam near crimination building in ward no. 1	0.00	175000.00	175000.00	0.00	175000.00
40	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02- 24	DC Head	re-c/o retaining wall RCC check Dam near crimination building in ward no. 1	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

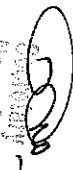
33

For the purpose of
audit, the above amount is
being released.

-5-

41	Deputy Commissioner Kangra	SDP-6087 dt 15-02-24	DC Head	conc. of pucca path from main road near Ashwani house towards Ashish house	0.00	200000.00	200000.00	0.00	200000.00
42	Deputy Commissioner Kangra	SDP-6087 dt 15-02-24	DC Head	conc. of cremation building in ward no.7	0.00	400000.00	400000.00	0.00	400000.00
43	Deputy Commissioner Kangra	MMG-6139 dated 16-02-24	DC Head	Conc. of road near hospital gate towards ECH Shahpur in ward no.1	0.00	175000.00	175000.00	175000.00	0.00
Total					24075030.00	28930918.00	53005948.00	29235712.00	23770236.00


 Section Officer (Audit)
 H.P. State Audit Department
 Shimla-171009


 Deputy Commissioner
 Kangra, Dist. Kangra (H.O.)

34

परिशिष्ट (4) पैरा संख्या '7.3' के संदर्भ में

Nagar Panchayat Shahpur, Distt Kangra
UC Statement as on 31.03.24

Sr. No.	Sanctioning Authority	Letter No. & Date	Head	Purpose	Expenditure during the year	UC letter No. & Date (if Sent)
1	Director, UD Shimla	Previous years	CFC	CFC Intersect (Tied grant)	8009.00	Not sent
2	Director, UD Shimla	Previous years	CFC	CFC Tied Grant	91433.00	Not sent
3	Director, UD Shimla	Previous year	CFC	CFC Untied	2305968.00	Not sent
4	Director, UD Shimla	Previous year	COVID-19	COVID-19	110000.00	Not sent
5	Director, UD Shimla	Previous year	SFC	SFC Grant for the year 2022-23	4258227.00	Not sent
6	Director, UD Shimla	Previous year	Parks	Construction of parks	1049859.00	Not sent
7	Director, UD Shimla	Previous year	MMSAGY	MMSAGY	270350.00	Not sent
8	Director, UD Shimla	Previous year	Parkings	Construction of parkings	1200620.00	Not sent
9	Deputy comm	Previous year	DC Head		22619.00	Not sent
10	Deputy comm	Previous year	DC Head			Not sent
11	Other Grant	Previous year	GSSS Shahpur	Development activites in GSSS Shahpur	400000.00	Not sent
12	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-1594-1653 dt 03-05-2023	CFC	CFC Intersect (Tied grant)	3639.00	Not sent
13	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-2420-2490 dt. 10-05-23	CFC	CFC Tied Grant	0.00	Not sent
14	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-4898-956 dt. 13-03-24	CFC	CFC Tied Grant	0.00	Not sent
15	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-1532-93 dt.3/5/23	CFC	CFC Intersect (UnTied grant)	2426.00	Not sent
16	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-60560-622 dt.2/3/23	CFC	CFC Untied	1781530.00	Not sent
17	Director, UD Shimla	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-4957-5018 dt.2/3/23	CFC	CFC Untied	727577.00	Not sent
18	Director, UD Shimla	Online dt 04-04-23	MMSAGY	MMSAGY	429750.00	Not sent
19	Director, UD Shimla	Online dt 04-11-23	MMSAGY	MMSAGY	122475.00	Not sent
20	Director, UD Shimla	online dt 27-04-23	PMAY	PMAY	1100000.00	Not sent
21	Director, UD Shimla	online	SBM	SBM	2000.00	Not sent
22	Director, UD Shimla	online	PMAY	PMAY	9560.00	Not sent
23	Director, UD Shimla	online dt 01-06-23	PMAY	PMAY	1450000.00	Not sent
24	Director, UD Shimla	online dt 30-09-23	PMAY	PMAY	700000.00	Not sent
25	Director, UD Shimla	online dt 30-09-23	PMAY	PMAY	2965000.00	Not sent
26	Director, UD Shimla	online dt 11-01-24	PMAY	PMAY	50000.00	Not sent
27	Director, UD Shimla	online dt 07-02-24	PMAY	PMAY	485000.00	Not sent
28	Director, UD Shimla	online dt 06-07-23	SBM	SBM	85400.00	Not sent

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

38

Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

29	Director, UD Shimla	online dt 30-05-23	SBM	SBM	84000.00	Not sent
30	Director, UD Shimla	online dt 21-02-24	SBM	SBM	38410.00	Not sent
31	Director, UD Shimla	UD-H(C)(17)-1/2022-SFC Award-13931-13993 dt 31/07/23	SFC	SFC Grant for the year 2023-24	7206809.00	Not sent
32	Director, UD Shimla	UD-H(C)(17)-1/2022-SFC Award-13931-13993 dt 31/07/23	SFC	SFC Grant for the year 2023-24	2100051.00	Not sent
33	Director, UD Shimla	No.UD-D(F)-Rain Damages -Engg-Cell/2013..6498-6519	SFC	Rain Damages DRF/NDRF	0.00	Not sent
34	Deputy Commissioner Kangra	Relief 896 dt 25-07-23	DC Head	Protection wall near the land of Gagan Singh	0.00	Not sent
35	BDO Rait	No.29971 dated 12-12-23	DC Head	retaning wall on nallah house of sunil kumar ward no.6	0.00	Not sent
36	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02-24	DC Head	retaning wall in nallah house of capt rakesh kumar ward no.	0.00	Not sent
37	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02-24	DC Head	re-co protection of habitation by construction of retaining wall near land of ravi kumar and other	0.00	Not sent
38	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02-24	DC Head	re-co protection of habitation by construction of retaining wall near land of Pankaj kumar and other	0.00	Not sent
39	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02-24	DC Head	re-c/o retaining wall RCC check Dam near crimination building in ward no. 1	0.00	Not sent
40	Deputy Commissioner Kangra	Relief 193 dt 08-02-24	DC Head	re-c/o retaining wall RCC check Dam near crimination building in ward no. 1	0.00	Not sent
41	Deputy Commissioner Kangra	SDP-6087 dt 15-02-24	DC Head	conc. Of pucca path from main raod near Ashwani hous towards Ashish house	0.00	Not sent
42	Deputy Commissioner Kangra	SDP-6087 dt 15-02-24	DC Head	conc. Of cremenation building in ward no.7	0.00	Not sent
43	Deputy Commissioner Kangra	MMG-6139 dated 16-02-24	DC Head	Conc. Of road near hospital gate towards ECH Shahpur in ward no.1	175000.00	Not sent
Total					29235712.00	


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Nagar Fauchoyat
Charpter, Distt. Kangra (I.S.)

परिशिष्ट - '5' - पैरा संख्या '8.1' के संदर्भ में

Statement of House Tax of N.P. Shahpur for the period 01.04.23 to 31.03.24

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
2023-24	0	2490613	2490613	62616	2427997

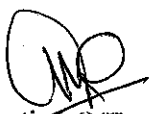

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट '6' पैरा संख्या '9.1' के संदर्भ में

**Statement of Door to Door Collection/User Charges of N.P. Shahpur
for the period 01.04.23 to 31.03.24**

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
2023-24	1355550	2098800	3454350	830925	2623425


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

Nagar Panchayat Shahpur Distt Kangra

Door to Door Collection		
Sr. No.	Month	Amount
1	Apr-23	115550
2	May-23	35000
3	Jun-23	107050
4	Jul-23	8550
5	Aug-23	119100
6	Sep-23	19225
7	Oct-23	132000
8	Nov-23	11850
9	Dec-23	107050
10	Jan-24	37650
11	Feb-24	115350
12	Mar-24	22550
	Total	830925


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट- '7.1' पैरा संख्या '9.2' के संदर्भ में

Nagar Panchayat Shahpur Distt Kangra
Payment to Sanitaio Contractor

Payment Contract of Sanitation			
Sr. No.	Month	Date	Amount
1	Apr-23	6-Apr-23	3,35,700.00
2	May-23	4-May-23	3,37,450.00
3	Jun-23	2-Jun-23	3,42,700.00
4	Jul-23	6-Jul-23	3,40,250.00
5	Aug-23	21-Aug-23	3,42,700.00
6	Sep-23	16-Sep-23	3,40,600.00
7	Oct-23	9-Oct-23	3,42,700.00
8	Nov-23	8-Nov-23	3,42,700.00
9	Dec-23	5-Dec-23	3,42,700.00
10	Jan-24	9-Jan-24	3,42,700.00
11	Feb-24	13-Feb-24	3,42,700.00
12	Mar-24	11-Mar-24	3,40,250.00
		Total	40,93,150.00


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट - '8' - पैरा संख्या - '10.1' के संदर्भ में

**Statement of Teh Bazari of N.P. Shahpur
for the period 01.04.23 to 31.03.24**

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
2023-24	0	140000	140000	134565	5435


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

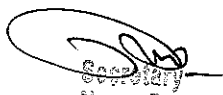

Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

परिशिष्ट- '9' - पैरा संख्या - '11.2' के संदर्भ में

Nagar Panchayat Shahpur Distt Kangra

Marriage Registration Fee Collection		
Sr. No.	Month	Amount
1	Apr-23	400
2	May-23	1000
3	Jun-23	2400
4	Jul-23	400
5	Aug-23	1050
6	Sep-23	0
7	Oct-23	0
8	Nov-23	600
9	Dec-23	2600
10	Jan-24	1950
11	Feb-24	1400
12	Mar-24	2000
	Total	13800


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

$$\frac{1}{1}$$

5



13-Jul-23	Sh. Bhupinder	P/L Paver path from h/o Sh. Madan Lal	297783	L.cess	1%	2978
13-Jul-23	Sh. Manjeet Singh	P/L Paver towards h/o Sanju ward No-04	165249	L.cess	1%	1652
22-Jul-23	Sh. Pankaj Narwal	C/O Shamsan Ghat ward No-07	269121	L.cess	1%	2691
22-Jul-23	Sh. Pankaj Narwal	C/O Shamsan Ghat ward No-07	266491	L.cess	1%	2665
04-Aug-23	Sagar Traders	P/L Paver near h/o Sh. Rajesh Kumar	58512	L.cess	1%	585
05-Aug-23	Sh. Bobby Sharma	hiring of ICB	49280	L.cess	1%	493
05-Aug-23	Sh. Manjeet Singh	Restoration of RD Near Suresh house	238388	L.cess	1%	2384
05-Aug-23	Sh. Manjeet Singh	Restoration of RD Near Suresh house	233337	L.cess	1%	2333
05-Aug-23	Sh. Pankaj Narwal	Restoration of RD near Community Toilet	115345	L.cess	1%	1153
24-Aug-23	Sh. Vishal Kumar	C/O R/wall near h/o Sh. Abhishek	101781	L.cess	1%	1018
24-Aug-23	Sh. Manjeet Singh	Completion of R/wall near h/o Manoj	97130	L.cess	1%	971
08-Sep-23	Sh. Ashok Kumar	Purchase pf Park equipments	377533	L.cess	1%	3775
08-Sep-23	Sh. Pankaj Narwal	Restoration of RD near Deepak house	82362	L.cess	1%	824
08-Sep-23	Sh. Pankaj Narwal	Restoration of RD near Savita Rana	190555	L.cess	1%	1906
08-Sep-23	Sh. Pankaj Narwal	Restoration of RD near Savita Rana	25749	L.cess	1%	257
08-Sep-23	Sagar Traders	Restoration of RD alongwithbandal	275299	L.cess	1%	2753
16-Sep-23	Sh. Pankaj Narwal	Furnishing work of small speech stage	128391	L.cess	1%	1284
09-Oct-23	Sh. Bhupinder	C/O R/wall near h/o Pratap Chand	200488	L.cess	1%	2005
09-Oct-23	Sh. Vishal Kumar	C/O CC Paver Duni Chand Ward No-04	112198	L.cess	1%	1122
09-Oct-23	Sh. Ashwani Kumar	C/o Pucca path around NP office	91291	L.cess	1%	913
09-Oct-23	Sh. Pankaj Narwal	P/L CC Path near GSSS Shahpur	265577	L.cess	1%	2656
02-Nov-23	Sh. Sanjeev Kumar	Electricity Fitting	21222	L.cess	1%	212
02-Nov-23	Sh. Manjeet Singh	C/O Rain Shelter at Kyari Bridge	309822	L.cess	1%	3098
02-Nov-23	Sh. Manjeet Singh	C/O CC Paver Block for main path	104592	L.cess	1%	1046
02-Nov-23	Sh. Pankaj Narwal	P/L CC Paver from Rajinder house	315021	L.cess	1%	3150
02-Nov-23	Sh. Pankaj Narwal	Special Flooring in Emergency Block	460058	L.cess	1%	4601
02-Nov-23	Sh. Pankaj Narwal	P/L CC Paver from Rajinder house	299829	L.cess	1%	2998
02-Nov-23	Sagar Traders	Restoration of RD	131673	L.cess	1%	1317
21-Nov-23	Sagar Traders	C/O CC Path from Rama House	271979	L.cess	1%	2720
21-Nov-23	Sh. Ashish Singh	C/O Path from culvert to GSSS	250688	L.cess	1%	2506

21-Nov-23	Sh. Pankaj Narwal	C/O R/wall near Sandhya house	224367	L.cess	1%	2244	
07-Dec-23	Sh. Manjeet Singh	C/O R/Wall near Road	373591	L.cess	1%	3736	
07-Dec-23	Sh. Manjeet Singh	C/O R/wall near Desh Raj house	359312	L.cess	1%	3593	
07-Dec-23	Sh. Deepak Soni	P/L Interlocking tiles in ward No-06	122915	L.cess	1%	1229	
04-Jan-24	Sh. Deepak Soni	C/O Path from h/o Sh. Kartar Singh	284227	L.cess	1%	2842	
16-Jan-24	Sh. Pankaj Narwal	C/O Stage in GSSS Shahpur	271609	L.cess	1%	2716	
16-Feb-24	Sh. Anil Kumar	CC Path in Shastri Coloy Shahpur	179820	L.cess	1%	1798	
17-Feb-24	Sh. Pankaj Narwal	C/O Parking near Community Hall	573075	L.cess	1%	5730	
17-Feb-24	Sh. Bhupinder	C/O Park near Radha Krishan Temple	306382	L.cess	1%	3063	
17-Feb-24	Sh. Pankaj Narwal	C/O Park near Radha Krishan Temple	365944	L.cess	1%	3659	
20-Feb-24	M/S Shiva Traders	R/O Solar Street Lights	598400	L.cess	1%	5984	
13-Mar-24	Sh. Shandil Thakur	C/o Road near hospital gate	197620	L.cess	1%	1976	
13-Mar-24	Sh. Pankaj Narwal	C/O Parking near Community Hall	627545	L.cess	1%	6275	
18-Mar-24	Sh. Pankaj Narwal	C/O Irregation Channel	316122	L.cess	1%	3161	
22-Mar-24	Sh. Deepak Soni	R/O Water Bodies near Ram Mohalla	103081	L.cess	1%	1030	
22-Mar-24	Sh. Ashish Singh	C/O Path near GSSS Shahpur	80031	L.cess	1%	800	
Total :			159402				

Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

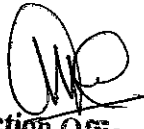
Secretary
H.P. State Audit Department
Shimla-171009

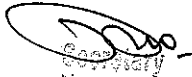
परिशिष्ट (1) - पैरा संख्या - '20' के संदर्भ में

Nagar Panchayat Shahpur Distt Kangra

Advertisement Payment during 2023-24

Voucher No./ dt.	Cash book Name & Page No.	BILL NO./DATE	Date of Advdt.	Newspaper of Name	Basic Amount	GST	Total Amount
12 dt 04-01-24	CB2 page 117	JA-23-564571 dt 28-08-23	27-08-2023	Dainik Savera	1500		1500
13 dt 04-01-24	CB2 page 117	20922 dt 23-12-23	25-12-2023	Janpath Publication	3333	167	3500
13 dt 04-01-24	CB2 page 117	20911 dt 21-12-23	21-12-2023	Janpath Publication	3333	167	3500
23 dt 11-01-24	CB2 page 120	02/2324/11/00380 dt 12-11-23	12-11-2023	Himachal Dastak	1905	95	2000
36 dt 16-01-24	CB2 page 121	20842 dt 02.12.23	02-12-2023	Janpath Publication	3333	167	3500
36 dt 16-01-24	CB2 page 121	20819 dt 24.11.23	24-11-2023	Janpath Publication	3333	167	3500
36 dt 16-01-24	CB2 page 121	20812 dt 22-11-23	22-11-2023	Janpath Publication	3333	167	3500
37 dt 16-01-24	CB2 page 121	JA-23-580510 Dt 20-12-23	21-12-2023	Dainik Savera	2799	0	2799
37 dt 16-01-24	CB2 page 121	Ja-24-580959 dt 01-01-23	24-12-2023	Dainik Savera	2600	0	2600
37 dt 16-01-24	CB2 page 121	JA-23-572505 dt 04/11/23	03-11-2023	Dainik Savera	1980	0	1980
37 dt 16-01-24	CB2 page 121	JA-23-577281 dt 02-12-23	01-12-2023	Dainik Savera	2900	0	2900
37 dt 16-01-24	CB2 page 121	JA-23-575529 dt 24-11-23	24-11-2023	Dainik Savera	2900	0	2900
37 dt 16-01-24	CB2 page 121	JA-23-573040 dt 08-11-23	08-11-2023	Dainik Savera	3600	0	3600
Total					36849	930	37779


Section Officer (Audit)
H.P. State Audit Department
Shimla-171009


Secretary
Nagar Panchayat
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

46

